(680)

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक–03 / योजना–02 / 2023 – 5232

प्रेषक,

संजय कुमार अग्रवाल, भा0प्र0से0
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक–23/7/24

विषयः– मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का समयबद्ध क्रियान्वयन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है किराज्य में प्रखंडों एवं सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने एवं आमजनों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या–8803, दिनांक–23.11.2023 द्वारा "मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना" अधिसूचित है। योजना की शेष लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दूसरे चरण की शुरूआत करने का निर्णय लिया गया है। दूसरे चरण का क्रियान्वयन निम्न समय सारणी के अनुसार होगा:–

क्र0	कार्य का विवरण	समयावधि
1	योजना का प्रशिक्षण एवं जागरूकता।	22.07.2024 से 31.07.2024 तक
2	प्रखंडवार आवेदन करने की तिथि।	01.08.2024 से 25.08.2024 तक
3	जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा प्रखंडवार एवं कोटिवार आवेदनों के आधार पर वरीयता सूची का निर्माण।	27.08.2024
4	जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा तैयार वरीयता सूची के आधार पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा लाभुक का चयन करना।	29.08.2024
5	स्वीकृत लाभुकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची को संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में प्रकाशित करते हुए तीन दिनों की समय सीमा में आपत्ति आमंत्रित करना।	02.09.2024
6	जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आपत्ति निराकरण के पश्चात् अंतिम चयन सूची का प्रकाशन किया जाना।	05.09.2024
7	जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा चयनित लाभुकों को चयनपत्र का तामिला कराना।	06.09.2024 से 10.09.2024 तक
8	बस क्रय के बाद चयनित लाभुक द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करना।	11.09.2024 से लगातार
9	जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा अनुदान की राशि CFMSके माध्यम से लाभुक के खाते में भुगतान करना।	आवेदन प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर

679

महत्वपूर्ण बिन्दुः–

1. इस योजना के तहत जिला मुख्यालय के प्रखंडों को छोड़कर शेष 496 प्रखंडों में इस योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रति प्रखंड अतिकतम सात लाभुकों को बस के क्रय पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा एवं लाभुक को प्रति बस 5,00,000/– (पाँच लाख) रू0 अनुदान का भुगतान जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा CFMSके माध्यम से लाभुक के खाते में किया जाएगा।

2. परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या–8803, दिनांक–23.11.2023 के आलोक में यह सर्वथा सुनिश्चित किया जाएगा कि एक प्रखंड में सात [2 अनुसूचित जाति, 2 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 1 पिछड़ा वर्ग, 1 अल्पसंख्यक समुदाय से, 1 सामान्य वर्ग (जो उक्त किसी कोटि में नहीं आते हों)] से ज्यादा लाभुकों को अनुदान का भुगतान नहीं हो। जिस प्रखंड में अनुसूचित जनजाति की संख्या 1000 से ज्यादा होगी उस प्रखंड में 1 अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के कोटि में भी योजना का लाभ दिया जाएगा।

3. जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी के सहयोग से प्रखंड स्तर पर बस के क्रय हेतु आमजनों के बीच जागरूकता लाने के उद्देश्य से वाहन मेला का आयोजन किया जाए, जिसमें अधिकृत बस (वाहन) डीलर तथा बैंकों/वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों को भी निश्चित रूप से आमंत्रित किया जाए। इससे लाभुकों को यथोचित वाहन के चयन तथा उसके वित्त पोषण कार्य में सहजता आएगी।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त समय सारणी के अनुसार योजना के दूसरा चरण के क्रियान्वयन की कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

22/7

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 9232

पटना, दिनांक 23/7/24

प्रतिलिपि– सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/7

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।